

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी**  
(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 70 / 2023(पुरानी-20 / 2023)  
प्रविष्टि दिनांक:- 27.10.2023(पुरानी-20.02.2023)  
निर्णय दिनांक :- 03.04.2024

::--उनवान--::

1. सत्यनारायण पुत्र रामकरण जाति जाट नि0 दाबड़दुम्बा तहसील टोडरायसिंह जिला केकड़ी  
-अपीलान्ट  
बनाम
1. नायब तहसीलदार टोडरायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान  
-रेस्पोजेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार  
टोडरायसिंह दिनांक 30.01.2023 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति :

- (1) श्री नोरतमल सांखला, अभिभाषक अपीलान्ट्स
- (2) नायब तहसीलदार, टोडरायसिंह रेस्पोजेण्ट

::--निर्णय--::

दिनांक 03.04.2024

1. अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोडरायसिंह ने अपने आदेश दिनांक 30.01.2023 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 444 रकबा 0.39 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम दाबड़दुम्बा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार टोडरायसिंह के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।
2. अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, टोंक के समक्ष प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार के आदेश से नवगठित जिला केकड़ी में गठन उपरान्त यह पत्रावली स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तलबी रेस्पोजेण्ट जरिये सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर न तो पहले

कब्जा था और न ही वर्तमान में कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न ही मौका निरीक्षण किया गया है। अपीलाट ने कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र/अन्डर टैकिंग अपील मीमो के साथ ही प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अपीलाण्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अपीलाट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं है।
5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से जाहिर आया है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 444 रकबा 0.39 है 0 किस्म चरागाह वाके ग्राम दाबडुम्बा तहसील टोडारायसिंह पर सरसों लगाकर अतिक्रमण किया है। अपीलाट द्वारा शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जा प्रस्तुत किया। राजकीय परोकार ने भी अपीलाट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।
6. फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.01.2023 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि नायब तहसीलदार टोडारायसिंह यह सुनिश्चित करेंगे कि निवर्तमान में अपीलाट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलाट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है।
7. भविष्य में पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलाट कब्जा नहीं करेगा। यदि अपीलाट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैशल में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामिल दाखिल दफतर हो।

(दिनेश धाकड़)  
अति. जिला कलेक्टर,  
केकडी